न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 44 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. पेमाराम पुत्र कोजाराम 2. आसुराम पुत्र हरीराम 3. सुनील पुत्र हीराराम नाबालिग जरिये कुदरती वली भाई आसुराम पुत्र हरीराम अपीलांट संख्या 02 4. किशनाराम पुत्र मोटाराम जाति विश्नोई निवासी पाबुबुरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		1. भगाराम पुत्र राजुराम 2. रामाराम पुत्र कोजाराम 3. अणसीदेवी पत्नी कोजाराम का.मु. 3/1वीरो पुत्री कोजाराम पत्नी गोकलाराम जाति विश्नोई निवासी सेडवा 3/2चनणी पुत्री कोजाराम पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी सगरवाव तहसील सेड़वा 3/3काली पुत्री कोजाराम पत्नी जगराम जाति विश्नोई निवासी सगरवाव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 4. भाखराराम पुत्र सुण्डाराम 5. पांचु पत्नी पेमाराम 6. जगदीश पुत्र हरीराम 7. सुजानाराम पुत्र हरीराम 8. सुरती पत्नी मोटाराम 9. सोमी पत्नी किशनाराम जाति विश्नोई निवासी पावुवेरी तहसील सेडवा जिला बाड़मेर 10. शाखा प्रवन्धक एस वी आई शाखा वामडला 11. शाखा प्रवन्धक वैंक ऑफ वड़ौदा शाखा धौरीमन्ना 12. शाख प्रवन्धक भूमि विकास वैंक वालोतरा शाखा धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 03/2022 बअनवान भगाराम बनाम रामाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 03.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. वकील श्री कैलाश एन सारण रेस्पोडेण्ट संख्या 02, 04 से 06, 08, 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 07.10.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 419/88 रकवा 11.13 वीघा मौजा पावूवेर पटवार क्षेत्र कारटिया तहसील सेड़वा में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 90 व 92 मौजा पावूवेरी प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। वरसात के मौसम में विप्रार्थी अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेता है, जिससे प्रार्थीगण को अवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी वहस में वताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अनुसार प्रस्तावित रास्ते के संवंध में कोई मौका रिपोर्ट तहसीलदार सेडवा से तलव करने का अंकन नहीं है तथा न ही कोई पत्र जारी होने का आउटवर्ड नम्बर आदेशिका पर अंकित है तथा न ही अधीनस्थ ने मौका रिपोर्ट बावत कोई पत्र जारी किया है फिर भी विना न्यायालय के आदेश तहसीलदार सेडवा ने आदेश क्रमांक भू.अ./2021/65–66 दिनांक 04.01.2022 को मौका रिपोर्ट वावत हल्का आर आई सोनडी को निर्देशत किया गया जवकि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन ही दिनांक 03.01.2022 मौका रिपोर्ट मंगवाने वावत कोई इवारत अंकित नहीं है तथा बिना अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या पत्र के तहसीलदार किस आधार पर आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हस्तगत मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बैठकर उतरदाता संख्या 01 से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जबकि अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश कर रखी है जो प्रकरण संख्या 2022/5553 पर दर्ज हो गई, जिसमें किसी भी प्रकार के आदेश पारित किये जाते है तो उसकी प्रति पेश कर दी जायेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने हेतु कोई न कोई आवेदन पेश कर उसको निर्णित करवा कर उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने का ट्रेंड बना रखा है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश निगरानी दर्ज हुई या नहीं तथा उसमें स्थगन आदेश पारित है या नहीं इस बावत कोई प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई। आवेदन के साथ फॉटो कॉपी पेश की गई न्यायालय में पढने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंटस संख्या 02, 04 से 06, 08, 09 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हम रेस्पोडेंटस को सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया इसलिए अपीलांटगण की अपील को स्वीकार की जाती है तो हम रेस्पोडेंटस को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के निकटतम वैकल्पिक रास्ते का विकल्प नहीं बताया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी तरफ से अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा को मुकर्रर किया जिन्होंने 07.01.2022 को वकलातनामा पेश किया उसके बावजूद भी हस्तगत प्रकरण में जबावदावा पेश नहीं किया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपने घर से सड़क तक आने जाने हेतु उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के अलावा सबसे कम दूरी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 03/2022 बअनवान भगाराम बनाम रामाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 03.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रदीप पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर